फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जयवंत पिता नरेन्द्र कुमार भेरविया निवासी 29, महावीर नगर, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर जिला उदयपुर

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 38/2018**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 18.12.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 2018/600 दिनांक 16.10.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रकरण संख्या 353/13 अनवान अंजना बना पुरूषोतम व अन्य जिसमे तारीख पेशी दिनांक 13.06.2013 को नियत रहीं थी, जिसमें बिन्दु संख्या ए से सी तक की वांछित सूचना चाही गई थी। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी को पत्र क्रमांक सू. अ. 2005/2018/482–83 दिनांक 02.07.2018 जरिये डाक द्वारा सूचित किया गया कि "आप द्वारा चाही गई प्रतिलिपि प्रकरण संख्या 353/13 दर्ज नहीं है। न्यायालय मे प्रकरण संख्या 262/13 उक्त अनवान की पत्रावली उपलब्ध है। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 20.07.2018 नियत है, से अवगत कराते हुए लिखा गया कि यदि प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो कार्यालय समय मे उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर वांछित प्रतिलिपि का नियमानुसार शुल्क जमा करावे ताकि निर्धारित समयावधि मे प्रतिलिपि तैयार कर उपलब्ध करायी जा सकें। उक्त पत्र क्रमांक से प्रार्थी को सूचित किया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी को नियमानुसार निर्धारित समयावधि मे कार्यालय के उपलब्ध अभिलेख अनुसार वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी के द्वारा जरिये डाक से प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.11.2018 में तथ्य वर्णित कर वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को कार्यालय समय मे उपस्थित होकर पत्रावली का	

कार्यालय जिला कलक्टर

अवलोकन कर वांछित प्रतिलिपि का नियमानुसार शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। किन्तु इसी मामले के संबंध में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2018 के अवलोकनोपरान्त लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है। प्रार्थी/अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार वांछित सूचना 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)